कार्यालय कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा जयपुर।

क्रमांक :– आरएसी–4/क्यू/बैण्ड/2016/2285 दिनांक :– 27/12/16

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा, जयपुर की बैण्ड प्लाटून में पदस्थापित कर्मचारियों के लिये वर्दियाँ सफेद (ठण्डी) वर्दी कोट–पेन्ट एवं लाल (गर्म) वर्दी कोट–पेन्ट बनवाने हेतु सम्बन्धित फर्मों से मोहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं।

कार्यालय का नाम :–**कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर।** ई.मेल fourthrac@gmail.com	
निविदा का कार्य:–**1–बैण्ड हेतु गर्म वर्दी :–25 सैट** अ–कोट–सरज गर्म कपड़ा–लाल इमली ब–पेन्ट–नीला कपड़ा सरज गर्म,बीच में लाल पट्टी, स–साफा –लाल रंग 25 नग द–बैल्ट जरी–जवान 23 नग व बैण्ड मास्टर बैल्ट शेष जरी–2 य–सोल्डर जरी–जवान 23 जोड़ा एवं बैण्ड मास्टर जरी 2जोड़ा, कॉर्ड जरी बैण्ड मास्टर 2 नग	**2–बैण्ड हेतु ठण्डी वर्दी :–25 सैट** अ–कोट –सफेद टेरिकोट,शोल्डर व आस्तीन पर नीला कपड़ा ब–पेन्ट–सफेद टेरिकोट, बीच में नीली पट्टी स–साफा नीला –25 नग द–बटन स्टील के अशोक स्तम्भ वाले
निविदा की लागत (अनुमानित)	425000.00
अमानत राशि	02 प्रतिशत 8500.00
टेण्डर फार्म भरने की दिनांक	03.01.2017 को प्रातः 10.00 बजे से 17.01.2017 को सायं 12 बजे तक
टेण्डर फार्म जमा/प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	17.01.2017 सायं 3.00 बजे तक
टेण्डर खोलने की दिनांक	17.01.2017 सायं 3.30 बजे
निविदा फॉर्म शुल्क	200.00

1. निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होंगी जो कार्यालय कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटा. आरएसी रामगढ रोड़ चैनपुरा,जयपुर से दिनांक 03.01.2017 को प्रातः 10.00बजे से दिनांक 17.01.2017 को दोपहर 12.00बजे तक राशि रूपये 200.00 नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।
2. पूर्ण मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर बैण्ड वर्दी अंकित कर कार्यालय में दिनांक 17.01.2017. को सायं 03.00 बजे तक जमा करवाना अनिवार्य है,अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएँ दिनांक 17.01.2017 को सायं 03.30 बजे तक उपस्थित निविदा दाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा, साथ ही बिना अमानत राशि के प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. वर्दी के कपड़े का सैम्पल निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
5. सम्पूर्ण निविदा या उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कार्यालयाध्यक्ष के पास सुरक्षित है।
6. इस निविदा के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी राजस्थान पुलिस की विभागीय वेबसाइट/पोर्टल rajasthanpolice.gov.in पर देखी जा सकती है एवं इस कार्यालय के फोन नं. 09828688220 तथा किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।

(जगदीश प्रसाद मीना)RPS
कमाण्डेन्ट
चतुर्थ बटालियन आरएसी
चैनपुरा, जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् है :–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त कमाण्डेन्ट आरएसी बटालियन्स/एम.बी.सी.खेरवाड़ा/हाड़ी रानी म.बटालियन नारेली अजमेर।
5. पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर।

27-12-16

कमाण्डेन्ट
चतुर्थ बटालियन आरएसी
चैनपुरा, जयपुर

निविदा प्रपत्र–प्रथम
(तकनीकी प्रस्ताव)

1. **बैण्ड कर्मचारियों के लिये वर्दी** हेतु निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता व टेलिफोन नम्बर .....
   .....
3. किसको सम्बोधित किया–
   .....कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर।
4. संदर्भ : निविदा संख्या 01/2016–17 दिनांक .....
5. हम.....द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....
   .....दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा निविदा सूचना से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
6. **फर्म द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करनी होंगी :–**
   a. मूल निविदा प्रपत्र अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित।
   b. अमानत राशि का नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक
   c. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग/वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस की प्रमाणित प्रति, फर्म का आयकर विभाग में टिन/पेन नं. होने चाहिए।
   d. फर्म को निविदा से सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना चाहिए।
   e. 100.00रूपये के नॉन ज्यूडिसियल शपथ पत्र पर प्रमाण–पत्र की फर्म किसी भी राजकीय/सार्वजनिक विभाग/उपक्रम से काली सूची में नहीं डाली गई है,तथा फर्म विभाग को निविदा में दर्शाये मानक/प्रस्तुत सेम्पल्स अनुसार ही सामग्री प्रदाय करने हेतु बाध्य होगी,सामग्री में कमी पाये जाने पर विभाग को कटौती करने/जमानत राशि जप्त करने का अधिकार होगा।
7. फर्म को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशाषी निकायों में सामग्री सप्लाई करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. अमानत राशि कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर के पक्ष में रूपये 8500.00 नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक सं. ..... दिनांक .....बैंक का नाम व पता.....
   .....संलग्न है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण एवं संलग्न प्रपत्र पूर्णतः सत्य हैं। असत्य पाये जाने पर प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकेगा,तथा विभाग कोई भी कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

कमाण्डेन्ट
चौथी बटालियन आर. ए. सी.
जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर।

–: बैण्ड वर्दी हेतु निविदा की शर्तें :–

टिप्पणी–निविदा दाताओं को निम्नलिखित शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए

1- निविदायें दिनांक 03.01.2017 से दिनांक 17.01.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक बेची जायेंगी तथा दिनांक 17.01.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त की जाकर दिनांक 17.01.2017 को सायं 03:30 बजे खोली जायेंगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

2- निविदायें कार्यालय द्वारा जारी निविदा फार्म/प्रारूप में ही स्वीकार की जायेंगी।

3- निविदादाता बैण्ड की वर्दी तैयार करने वाले या सप्लाई करने वाले अनुभवी संस्थाओं/फर्म द्वारा ही भरा जावेगा। भरी हुई निविदा सीलबंद लिफाफे में निविदा सूचना जारी समय अवधि में स्वीकार की जावेगी।

4- बिक्रीकर अधिनियम के तहत् पंजीकृत फर्म द्वारा ही निविदा प्रस्तुत की जावे। टिन नम्बर एवं पेन कार्ड नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

5- तकनिकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव पृथक–पृथक लिफाफों में रखना होगा। तकनिकी लिफाफे में टिन नम्बर,पेन नम्बर,लघु उद्योग का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रतिलिपि),कपड़े का सैम्पल आदि होंगे। पहले तकनिकी लिफाफा खोला जाकर तकनिकी परीक्षण किया जायेगा। तकनिकी परीक्षण में सफल निविदा दाता का ही मूल्य प्रस्ताव (दूसरा लिफाफा) खोला जायेगा।।

6- निविदा दाता अपनी निविदा अथवा उनके भाग को अन्य किसी एजेन्सी को नहीं सौंपेगा।

7- निविदा दाता निविदा की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर करें।

8- निविदा फार्म स्याही अथवा टाईप से स्पष्ट भरा हुआ होना चाहिये, पेन्सिल से भरी हुई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा फार्म एवं शर्तों अथवा अन्य सम्बन्धी दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करेगा और मोहर अंकित करेगा जो कि उसकी शर्तों को स्वीकार करने का प्रमाण होगा।

9- करार पत्र– (अ)करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदा दाता द्वारा किया जायेगा ,तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प सुदा प्रतिपड़त निशुल्क दी जायेगी।

10-प्रतिभूति राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक गारन्टी आदि होगी।

11-प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण–

प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से नम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा–

(1)जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(2)जब निविदा दाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(3)प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा,इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

कमाण्डेन्ट
चौथी बटालियन आर. ए. सी.
जयपुर

12-दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्टतः लिखी जायेंगी तथा किसी प्रकार की काट/छांट पर उसे पुनः लिख कर फर्म प्रतिनिधि के लघुहस्ताक्षर किये जायेगें।

13-किसी भी निविदा को स्वीकार करने/अंशतः स्वीकार करने, अस्वीकृत करने अथवा रद्द करने का अधिकार क्रेता अधिकारी में निहित है। किसी भी न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करना सरकार के लिए आवश्यक नहीं है। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।

14-किसी विवाद की स्थिति में शर्तें/नियम वे मान्य होंगे जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत हैं।

15-सफल निविदादाता को एस.आर–17 में करार नियमानुसार 500/–रूपये राशि का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा।

16-निविदा सूचना में उल्लेखित मांग कम या ज्यादा करने का अधिकार क्रेता के पास निहित है।

17-निविदादाता को निविदा के साथ अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत दर से अमानत राशि जमा करानी होगी। अमानत राशि, नगद /बैंकर चैक/डी.डी. से जमा करायी जावेगी। इस अमानत राशि का निम्न परिस्थितियों में समपहरण (forfeit) किया जा सकेगा।

(i) जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा स्वीकृति से पूर्व निविदा वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित करता है।

(ii) जब निविदादाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, को सम्पादित नहीं करता है।

(iii) जब प्रदाय आदेश जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय नहीं करता है।

18-सफल निविदादाता को निर्धारित अवधि में निविदा सूचना की अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप को नगद/बैंकर्स चैक/डी.डी. अथवा बैंक गारन्टी के माध्यम से जमा करानी होगीं इस प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण (Forfeit) किया जा सकेगा।

(i) जब निविदा के किसी निर्बन्ध या शर्तों को भंग किया जाता है।

(ii) जब निविदादाता सन्तोषप्रद रूप से निर्धारित अवधि में पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।

(iii) इस सम्बन्ध में कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर द्वारा गठित कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।

19-सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के भाग द्वितीय के नियम 68 में अभिकथित प्रारूप एसआर–16 को इस संविदा/निविदा का भाग समझा जावेगा, जो निविदादाता पर प्रभारी समझा जावेगा।

20-भुगतान हेतु बिल का प्रस्तुतीकरण पूर्ण एवं सन्तोषप्रद सप्लाई करने के पश्चात् किया जायेगा । विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में बिल की राशि को 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक रोका जा सकेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

कमाण्डेन्ट
चौथी बटालियन आर. ए. सी

21-दरों की तुलना करते समय राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य की हकदार नहीं हैं, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में राजस्थान के बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जायेगा। जबकि केन्द्रीय बिक्री दर को इसमें शामिल किया जावेगा।

22-राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जायेगा।

23-अनुमोदित निविदादाता अपने कार्य की संविदा को या उसके किसी भाग को अन्य किसी फर्म को सबलेट नहीं करेगा।

24-निविदा कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर के नाम से सम्बोधित की जावेगी। प्राप्त निविदाओं के किसी भी भाग को पूर्ण/आंशिक रूप से या सम्पूर्ण निविदा/किसी भी एक निविदा के किसी भी भाग को स्वीकार/अस्वीकार करने के समस्त अधिकार बिना कोई कारण बताये कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर द्वारा गठित समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

25-समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर जिला मुख्यालय स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रवृत की जावेगी।

26-फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर के द्वारा गठित कमेटी को अविलम्ब सूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन संविदा/निविदा के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूर्ववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।

27-निविदा के सम्बन्ध में फर्म में तब तक कोई नये भागीदार स्वीकार नहीं किया जावेगा/किये जायेंगे जब तक कि वह/वे समस्त निबन्धनों और शर्तों की पालना करने हेतु सहमत न हों और कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर की गठित कमेटी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल निविदादाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपयुक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्व होंगे और वह संविदा के किसी भी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।

28-उक्त वर्णित दरें दिनांक 31.03.2017 तक के लिए विधि मान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से एक वर्ष तक बढाया जा सकता है।

29-टीडीएस व अन्य करों की कटौती नियमानुसार होगी।

30-वित्तीय बोलियों में अंक गणितीय त्रुटियों में सुधार।

(क) इकाई मुल्य और कुल मुल्य, जो इकाई मुल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मुल्य अभिभावी होगा और कुल मुल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दू की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गई है, तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितीय त्रुटि से सम्बन्धित न हो, ऐसे मामले में उपयुक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

कमाण्डेन्ट

31-वित्त विभाग राजस्थान द्वारा प्रस्तावित Circular No- 3/2013 Date 04.02.2013 की विभिन्न शर्तें उक्त निविदा प्रपत्र में संलग्न हैं, को ध्यानपूर्वक पढ़ें व उसका अनुसरण करें।

परिशिष्ट – 1. सत्यनिष्ठा की संहिता व हित का विरोध।

परिशिष्ट – 2. निविदादाता द्वारा की गई घोषणा।

परिशिष्ट – 3. अपील सम्बन्धी ज्ञापन

32-उक्त कार्य समय पर नहीं होने पर सफल निविदादाता से नियमानुसार वसूली की जावेगी।

33-निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता को निविदा राशि की 2 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। निविदा इस कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। धरोहर राशि नकद/डी.डी. से जो कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर के पक्ष में नियमानुसार जमा कराना अनिवार्य होगा जो कि निविदा खुलने के 7 दिवस में लौटा दी जायेगी।

34-सफल निविदादाता को 5 प्रतिशत धरोहर राशि आदेश के 7 दिवस में जमा करानी होगी।

35-सफल निविदादाता को सामग्री की सन्तोषजनक एवं पूर्ण सप्लाई करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।

36-रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित सभी दस्तावेज संलग्न करने आवश्यक हैं।

37-समिति को निविदा स्वीकार करने/न करने का अधिकार होगा। किसी भी मामले पर समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

38-भविष्य में किसी भी प्रकार का बाजार में उतार चढाव होने पर अनुबन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

39-सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

40-सुपुर्दगी अवधि :–निविदा दाता जिसकी निविदा स्वीकार की जावेगी,वह सप्लाई आदेश की तारीख से 45 दिवस तक की अवधि में सप्लाई की व्यवस्था करेगा।

41-(i)निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदा दाता केता अधिकारी से फर्म आर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

(ii)परिनिर्धारित क्षति–परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनकी निविदा दाता सप्लाई करने मे असफल रहा है।

परिसमापित नुकसानी:–

1–(क)विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये –2.5%

(ख)एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक–5%

(ग)आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि –7.5%

(घ)विहित अवधि से तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये –10%

2–विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

3–परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10%होगी।

4–यदि प्रदाय कर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्वि करना चाहता है,तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है,किन्तु वह उसके लिये बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5–यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

42-नियम 1 से 41 तक समस्त शर्तें, समस्त परिशिष्ट इस निविदा में अक्षरशः लागू होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

कमाण्डेन्ट

—: सत्यानिष्ठा की संहिता :—

उपायन प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति

(क) उपायन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपायन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम, दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे को कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा, जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपायन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोध आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपायन संख्या और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गई किसी भी जानकारी का उपायन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं होगा।

(ड) उपायन प्रक्रिया को प्रस्तावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुँचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपायन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट होगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ पूर्व नियम भंग को या किसी भी अन्य उपायन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

कमाण्डेन्ट
चौथी बटालियन आर. ए. सी.
जयपुर

–: हित का विरोध :–

कोई बोली लगाने वाला किसी उपायन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा। जिसमें निम्नलिखित स्थितियाँ सम्मिलित हैं, किन्तु इन तक समिति नहीं है यदि :–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
(ख) वे उनमें से किसी से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।
(ग) उनका उस बोली से प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा सम्बन्ध है, जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुँचाने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है, जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।
(च) बोली लगाने वाले या उससे सम्बद्ध किन्ही व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनिकी विनिर्देशों के तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये जाते है, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो सम्बद्ध है और न ही सम्बन्ध रखता है या संविदा के लिया परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग :– अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपायन संस्था द्वारा धारा 11 की उप धारा (3) और धारा 46 के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

कमाण्डेन्ट
चौथी बटालियन आर. ए. सी.
जयपुर

(नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित – 100/– के नॉन ज्युडीशिल स्टाम्प पर)

घोषणा पत्र

मैं/हम ..... (प्रस्तावक का नाम) .....

.....(प्रस्तावक का पूर्ण पता) यह शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :–

(1) मैंने इस विभाग द्वारा निकाली गई अभिरूचि की अभिव्यक्ति के सामान्य अनुदेशों व शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और सभी अनुदेशों व शर्तों से मैं/हम सहमत हैं।
(2) उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति मैं/हम अधिकृत बैण्ड के लिये वर्दी प्रदाता की हैसियत से भाग ले रहे हैं।
(3) मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित की गई दरें वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये मान्य होंगी।
(4) मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.स.	संलग्न	पेज नम्बर	हाँ/नहीं
1	अनुमोदन फार्म मय नियम एवं शर्तों के जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षरमय मोहर होनी चाहिए		
2	दर अनुमोदन शुल्क ..... डीडी नम्बर/दिनांक ..... डीडी राशि ..... जारी करने वाले अनुसूचित बैंक का नाम		
3	अमानत राशि रूपये 8500.00 रसीद सं./डी.डी.नं./चैक सं. ..... दिनांक		
4	कपड़े का सैम्पल संलग्न करना होगा		
5	विभिन्न विभागों के किये गये कार्यों का प्रमाण पत्र		
6	परिशिष्ट 01, 02 और 03		
7	सत्यानिष्ठा की संहिता–स्वयं के लैटर हैड पर स्पष्ट अंकित मय सील व साईन		
8	परिशिष्ठ–2–100 के नॉन ज्यूडीशियरी स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित		
9	परिशिष्ट–3–स्वयं के लैटर हैड पर स्पस्ट अंकित मय सील व साईन		
10	परिशिष्ठ–4–तकनीकी निविदा का मूल्यांकन		
11	बैण्ड वर्दी स्वामित्व व संचालन के प्राधिकारी/अनुज्ञापत्र इत्यादि का सम्बंधित विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र		

कमाण्डेन्ट
चौथी बटालियन आर. ए. सी.
जयपुर

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

प्रारूप संख्या–1

(नियम 83 देखिये)

राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील संख्या ..... (प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) ..... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विविष्टियाँ :–
   1. अपीलार्थी का नाम :–
   2. कार्यालय का नाम, यदि कोई हो :–
   3. आवासीय पता :–
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम व पता
   1. .....
   2. .....
   3. .....
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी और अधिकारी/ प्राधिकारी का नाम और पदनाम जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या उपायन संस्था के किसी विनिश्चय कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है।
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :–
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :–
6. अपील का आधार :–

   .....

   .....

   .....

   ..... (शपथ द्वारा समर्थित)

   भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र जनवरी 21, 2013) 155(69)
7. प्रार्थना :– .....

   .....

   .....

स्थान :– ..... दिनांक :– .....

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

कमाण्डेन्ट
चौथी बटालियन आर. ए. सी

–: वित्तीय निविदा पत्र :–

1. विषयः–**बैण्ड वर्दी** हेतु निविदा
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता :– .....

   .....

   फोन नम्बर :– ..... मोबाईल नम्बर .....
3. सम्बोधन :– कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा,जयपुर।
4. संदर्भः– निविदा सूचना क्रमांकः ..... दिनांक .....
5. अमानत राशि रूपये 8500.00 नगद/चैक द्वारा रसीद/चैक/डी.डी. सं. ..... दिनांक.....
6. निविदा शुल्क राशि रूपये 200/– मात्र रसीद नम्बर ..... दिनांक .....
7. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निविदा की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ , जिसके प्रमाणस्वरूप निविदा शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
8. निविदा की शर्तें निम्न प्रकार है :–(वित्तीय निविदा पृथक लिफाफे में जमा करानीं होगीं।)

   (अ) बैण्ड कर्मचारियों के लिये गर्म एवं ठण्डी वर्दी के लिये प्रस्तावित दरें :–

क्र.स.	मद	दर प्रति सैट अंकों में	दर प्रति सैट शब्दों में	विशेष विवरण यदि हो तो।
1	गर्म वर्दी लाल –25 सैट (कोट–लाल, पेन्ट–नीला)			
2	ठण्डी वर्दी सफेद–25 सैट			
3	साफा लाल–25			
4	साफा नीला–25			
5	बैल्ट जरी जवान–23			
6	सोल्डर जरी जवान–23 एवं बैण्ड माटर जरी–02, कॉर्ड जरी बैण्ड मास्टर –2			
7	बैण्ड मास्टर बैल्ट शेष जरी–2			

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

कमाण्डेन्ट
चौथी बटालियन आर. ए. सी.
जयपुर